

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश म.प्र. भोपाल

ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कॉलोनी, भोपाल-462016
ई-मेल : mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष : 0755-2427091

प्ररूप-1

{नियम 2 के उपनियम (एक) का खण्ड (झ) देखिए}

उत्पादन क्षेत्र संबंधी सूचना

क्रमांक 1464/12.15.03.2024 मध्यप्रदेश हस्तांतरणीय विकास अधिकार नियम, 2018 के नियम 3 उपनियम (पांच) की शक्तियों का उपयोग करते हुए, जबलपुर विकास योजना, 2021 में दर्शित समस्त 24.00 मीटर अथवा उसके अधिक चौड़े मार्गों के अंतर्गत आने वाली भूमियों जिसके लिये संचालक एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु जबलपुर निवेश क्षेत्र में उत्पादन क्षेत्र को निम्नलिखित अनुसूची में दर्शाये अनुसार प्रस्तावित करता है : -

अनुसूची (उत्पादन क्षेत्र)

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
1	2	3	4
1.	जबलपुर विकास योजना, 2021 का निवेश क्षेत्र	विकास योजना में उपदर्शित समस्त 24.00 मीटर तथा उससे अधिक चौड़े मार्गों के अंतर्गत आने वाली भूमियों के समस्त खसरे अथवा उसका भाग	मार्ग से प्रभावित संपूर्ण रकबा

प्रस्तावित उत्पादन क्षेत्र घोषित किए जाने हेतु किए गए प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिए आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे। यदि कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तावित उत्पादन क्षेत्र के संबंध में हो तो, वह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय जबलपुर को, दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किये जा सकते हैं।


(श्रीकांत बनोड़)

वि.क.अ.सह आयुक्त सह-संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
मध्यप्रदेश, भोपाल